फर्द अहकाम

खुबचन्द व अन्य **बनाम** दीवर व अन्य

नाम न्यायालय SDO II सांगानेर

केस संख्या 180/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वादी साक्ष्य गवाह उपस्थित करने व जिरह प्रतिवादी हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है पत्रावली दि० 6/3/25 को पेश हो। प्रतिवादी सं. 7 से 10 अनुपस्थित। प्रतिवादी सं. 7 से 10 के विरुद्ध एकतरफा की जाती है पत्रावली दि० 6/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
अंगूठा निशान वादी सं.-2 खुबचन्द	6/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व से एकपक्षीय प्रकरण में प्रतिवादीगण कार्यवाही हो चुकी। वकील वादी गवाह हाजिर, वादी खुबचन्द के बयान दर्ज किये गये व प्रदर्श अंकित किये गये। वादीगण अर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते बहस अन्तिम हेतु दि० 12/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	12/3/25	[illegible]त्रावल पेश हुई। [illegible] के [illegible] कोर्ट [illegible] है [illegible] [illegible]पाहे [illegible] प[illegible] अत पत्रा[illegible] को पेश हों। 20/3/25
	20/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी बकवाद डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 180 / 2023
निर्णय दिनांक: 20.03.2025

उनवान

1. खुबचन्द पुत्र श्री फताराम
2. गेपाल पुत्र श्री फताराम

–वादीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र श्री किशना
2. हनुमान पुत्र स्व श्री भौरिया
3. लक्ष्मीनारायण स्व श्री भौरिया
4. मोतीराम स्व श्री भौरिया
5. मंगलराम स्व श्री भौरिया
6. विक्की स्व श्री भौरिया
7. जगदीश पुत्र स्व श्री नानूराम
8. बाबूलाल पुत्र स्व श्री नानूराम
9. सीमाराम पुत्र स्व श्री नानुराम
10. रामनारायण पुत्र स्व श्री नानूराम
    समस्त जाति बागडा ब्राम्हण निवासी ग्राम हरवंसपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक द्वितीय सांगाने तहसील सांगानेर जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सीमा निर्धारण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

वादीगण ने दावा वावत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सीमानिर्धारण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सख्या एक लगायत दस की संयुक्त साविक आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 42 रकवा 5 बीघा 7 विस्वा, खसरा नम्बर 43 रकवा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 44 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा, खसरा नम्बर 45 रकवा 4 बीघा 16 विस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकवा 3 विस्वा, खसरा नम्बर 48 रकबा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 4 बीघा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 68 रकबा 27 बीघा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 46/70 रकबा 8 विस्वा, खसरा नम्बर 46/72 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 68/79 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, कुल किता 12 कुल रकवा 55 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम हरवंशपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित थी। जो फता पि0 मु0 स्व0 दुला हिस्सा 1/2 व किशना, नान्या पुत्रान स्व0 नानगा हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत 2012 में अंकित थी। स्व0 नारायण के दो पुत्र दुला व नानगा थे। दुला नाआलौद फौत हो गया था जिसने अपने जीवनकाल में अपने छोटे भाई नानगा के बेटे फताराम को दत्तक पुत्र ग्रहण कर लिया था। जिसका सजरा अनुसार वारिसान वाद पत्र में अंकित है। उक्त वर्णित आराजीयात मे वादीगण व प्रतिवादीगण के उत्तराधिकारीया ने कुछ साबिक खसरा नम्बरान को विक्रय कर दिया था। उक्त वर्णित आराजीयात के साबिक खसरा नम्बरान से बने हाल खाता सख्या 11

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 156 रकबा 3.19 है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.41 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 5.36 है0 भूमि मे वादी संख्या एक का हिस्सा 1/4 व वादी संख्या दो का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी सख्या दो लगायत छः का हिस्सा 1/4 व हाल खाता सख्या 20 के खसरा नम्बर 152/2 रकबा 0.1650 है0, खसरा नम्बर 153 रकबा 1.13 है0, खसरा नम्बर 154/1 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.12 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.0650 है0 मे प्रतिवादी सात लगायत नौ का प्रत्येक का हिस्सा 1/3-1/3 व हाल खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 153/1 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.10 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 मे प्रतिवादी सख्या सात लगायत दस प्रत्येक का हिस्सा 1/4-1/4 व हाल खाता सख्या 38 के खसरा नम्बर 152/1 रकबा 0.3350 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.43 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.7650 है0 में प्रतिवादी संख्या दस का हिस्सा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जबकि उक्त सम्पूर्ण आराजीयात मे वादीगण का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी संख्या दो लगायत छः का हिस्सा 1/8, तथा प्रतिवादी संख्या सात लगायत दस का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड मे अंकित होना चाहिए था। उक्त आराजी भूमि शामलाती भूमि रही है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि उक्त आराजीयात मे हमारा 1/2 हिस्सा है तथा हम 1/2 हिस्से पर ही काबिज काश्त है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे हमारा 1/3 हिस्सा दर्ज हो गया है जिसको दुरुस्त करवाकर हमारा 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाओ तो प्रतिवादीगण ने कहा कि इसके लिए आपको तहसील कार्यालय में चलना होगा। और वहा पर प्रतिवादीगण ने सांठ-गांठ कर उक्त भूमि का अलग अलग बटवारां करवा लिया। तथा वादीगण का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त नही करवाया जबकि आज भी वादीगण 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है जिस पर काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग मे लेते आ रहे है। दिनांक 05.10.2023 को प्रतिवादी सख्या एक लगायत दस एक राय होकर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर दिगर व्यक्तियो को लेकर आये और कहा कि उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे हमारे नाम से है तथा उक्त आराजीयात को हम दिगर व्यक्तियो को विक्रय करेगे। जिस पर वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये। जिस पर वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तो चला कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के हिस्से को दुरूस्त न करवाकर तहसील कार्यालय से बटवारां करवा लिया है। इस कारण वादीगण को यह वाद पत्र वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमि हुआ। वादीगण गरीब व अनपढ व्यक्ति है जिनको कानूनी पेचिदगियो के सम्बन्ध मे जानकारी नही है तथा उनके पूर्वाधिकारी फताराम के नाम से वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 व 4 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्से पर काबिज होकर कृषि काश्त करते आ रहे है। तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा नम्बर 4 में वर्णित आराजीयात मे वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी सख्या 1 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सख्या 2 लगायत 6 का हिस्सा 1/8 तथा प्रतिवादी सख्या 7 लगायत 10 का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त आराजीयात को किसी दिगर व्यक्ति को रहन, विक्रय हस्तानान्तरण इत्यादि नही करे। तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। प्रतिवादी सख्या 11 को उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखने तथा प्रतिवादी सख्या 12 को विकय पत्र, इकरारनामा, रहननामा, मुख्तयारनामा इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तस्दीक न करने बाबत पाबन्ध फरमाया जावे। वाद कारण दिनांक 05.10.2023 को जब शुरू हुआ जब प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 10 एक राय होकर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर दिगर व्यक्तियो को लेकर आने और उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे हमारे नाम से है तथा उक्त आराजीयात को हम दिगर व्यक्तियो को विकय करने की धमकी देने तथा वादीगण के मना करने पर प्रतिवादीगण वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू होने से शुरू होकर निरन्तर जारी है।

अतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि हाल खाता सख्या 11 के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 156 रकबा 3.19 है0 खसरा नम्बर 95 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.41 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 5.36 है0 व हाल खाता सख्या 20 के खसरा न0 152/2 रकबा 0.1650 है0, खसरा नम्बर 153 रकबा 1.13 है0, खसरा नम्बर 154/1 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.12 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.0650 है0 व हाल खाता सख्या 40 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 153/1 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 व हाल खाता सख्या 38 के खसरा नम्बर 152/1 रकबा 0.3350 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7650 है0 वाके ग्राम हरवंशपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी सख्या 1 का हिस्सा 1/8 प्रतिवादी सख्या 2 लगायत 6 का हिस्सा 1/8 तथा प्रतिवादी सख्या 7 लगायत 10 का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तथा सीमानिर्धारण किये जावे। प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त आराजीयात को किसी दिगर व्यक्ति को रहन, विकय हस्तानान्तरण इत्यादि नही करे। तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। प्रतिवादी सख्या 11 को उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखने तथा प्रतिवादी सख्या 12 को विकय पत्र, इकरारनामा, रहननामा, मुख्तयारनामा इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से तस्दीक न करने बाबत पाबन्ध फरमाया जावे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद डाक रजिस्टरर्ड सूचना उपस्थित नही। दिनांक 13.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 13.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही करने पर उनके जवाब दावे का अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत रही। वादीगण की ओर से साक्ष्य के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये गये। वादीगण की प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 के रूप में लेखबद्ध की गई। दस्तावेजो पर प्रदर्श अंकित किये गये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

बहस वादीगण अधिवक्ता सूनी गयी। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस वाद पत्र, दस्तावेज, व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादीगण को 1/2 भाग, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/8 भाग, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 को 1/8 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया।

हमने बहस वादीगण अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादीगण का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 44

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 48 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 68 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 46/70 रकबा 8 बिस्वा, खसरा न0 46/72 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 68/79 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 55 बीघा 7 बिस्वा फता पि0 मु0 स्व0 दुला हिस्सा 1/2 व किशना, नान्या पुत्रान स्व0 नानगा हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत 2012 में अंकित थी। इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर से जमाबन्दी संवत 2022 की प्रदर्श– 5 पेश की है जिसके अनुसार फता पि0 मु0 स्व0 दुला का हिस्सा 1/2 अंकित होना साबित है वादीगण ने अपने वाद में इस तथ्य को स्वीकार किया है इसमें से कुछ साबिक खसरा नम्बरान की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उत्तराधिकारियों ने विक्रय कर दिया है जिससे यह साबित हो जाता है कि विक्रय की गयी भूमि का कोई वाद–विवाद न होकर शेष भूमि ही विवादग्रस्त है। वादीगण का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 44 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 48 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 68 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 46/70 रकबा 8 बिस्वा, खसरा न0 46/72 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 68/79 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 103 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 156 रकबा 3.19 है0 खसरा नम्बर 95 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.41 है0, खसरा नम्बर 152/2 रकबा 0.1650 है0, खसरा नम्बर 153 रकबा 1.13 है0, खसरा नम्बर 154/1 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.12 है0, खसरा न0 152 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 153/1 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 152/1 रकबा 0.3350 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.43 है0 बनाये गये है, इस सम्बंध में वादीगण की ओर से प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल पेश किया जिसमें साबिक खसरा नम्बर खसरा नम्बर 42 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 44 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 48 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 68 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 46/70 रकबा 8 बिस्वा, खसरा न0 46/72 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 68/79 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 103 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 156 रकबा 3.19 है0 खसरा नम्बर 95 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.41 है0, खसरा नम्बर 152/2 रकबा 0.1650 है0, खसरा नम्बर 153 रकबा 1.13 है0, खसरा नम्बर 154/1 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.12 है0, खसरा न0 152 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 153/1 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 152/1 रकबा 0.3350 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.43 है0 बनना साबित होता है वादीगण का यह भी कथन रहा है कि साबिक खसरा नम्बरान में वादीगण का 1/2 हिस्सा अंकित था परन्तु राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्सा अंकित कर दिया गया जबकि साबिक खसरा नम्बर के अनुसार 1/2 हिस्सा अंकित होना चाहिए, इस सम्बंध में वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श–1 लगायत 5 हाल जमाबन्दी व पुरानी जमाबन्दी संवत 2022 पेश की है, संवत 2022 के अनुसार वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में 1/2 भाग की खातेदारी अंकित रही है ओर राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में भी इसी अनुसार अंकित होना चाहिए, ऐसी स्थिति में हाल खसरा नम्बरान 103, 104, 105 में वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

1/2 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है, और वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम हरवंशपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी हाल खाता सख्या 11 के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 156 रकबा 3.19 है0 खसरा नम्बर 95 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.41 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 5.36 है0 व हाल खाता सख्या 20 के खसरा नम्बर 152/2 रकबा 0.1650 है0, खसरा नम्बर 153 रकबा 1.13 है0, खसरा नम्बर 154/1 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.12 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.0650 है0 व हाल खाता सख्या 40 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 153/1 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 व हाल खाता सख्या 38 के खसरा नम्बर 152/1 रकबा 0.3350 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7650 है0 में वादीगण को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 को 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 180 / 2023
पारित डिक्री दिनांकः 20.03.2025

उनवान

1. खुबचन्द पुत्र श्री फताराम
2. गेपाल पुत्र श्री फताराम

—वादीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र श्री किशना
2. हनुमान पुत्र स्व श्री भौरिया
3. लक्ष्मीनारायण स्व श्री भौरिया
4. मोतीराम स्व श्री भौरिया
5. मंगलराम स्व श्री भौरिया
6. विक्की स्व श्री भौरिया
7. जगदीश पुत्र स्व श्री नानूराम
8. बाबूलाल पुत्र स्व श्री नानूराम
9. सीमाराम पुत्र स्व श्री नानुराम
10. रामनारायण पुत्र स्व श्री नानूराम
    समस्त जाति बागडा ब्राम्हण निवासी ग्राम हरबंसपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक द्वितीय सांगाने तहसील सांगानेर जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सीमा निर्धारण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम हरवंशपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी हाल खाता सख्या 11 के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 156 रकबा 3.19 है0 खसरा नम्बर 95 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.41 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 5.36 है0 व हाल खाता सख्या 20 के खसरा नम्बर 152 / 2 रकबा 0.1650 है0, खसरा नम्बर 153 रकबा 1.13 है0, खसरा नम्बर 154 / 1 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.12 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.0650 है0 व हाल खाता सख्या 40 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 153 / 1 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 व हाल खाता सख्या 38 के खसरा नम्बर 152 / 1 रकबा 0.3350 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7650 है0 में वादीगण को 1 / 2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1 / 8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 को 1 / 8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 को 1 / 4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह......................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.03.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)